



न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु0 जयपुर
जगदीश बनाम शैतान वगै0

संख्या : प्रा. पत्र 4/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	विशेष विवरण
01.12.2022	<p>पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप। प्रार्थी ने आज भी अप्रार्थीगण की तलवी हेतु नोटिस तलबाना पेश नहीं किये हैं। प्रार्थी को बार बार हिदायते देने के बावजूद भी नोटिस तलबाना पेश नहीं किये। आगामी तारीख पेशी पर पेश नहीं करने पर ऑर्डर 9 नियम 5 के तहत कार्यवाही स्वतः समझी जावेगी। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 12.12.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक कलेक्टर आमेर मु० जयपुर</p>
12.12.2022	<p>पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 151 में थानाधिकारी हरमाडा को आदेश दिनांक 24.01.2022 की पालना हेतु तहरीर जारी किया जावे। उक्त से संबंध प्रार्थी को अप्रार्थीगण को तलवी जारी कर उनको सुनकर आदेश प्रसारित करने हेतु आदेशित किया गया था परंतु आज दिनांक तक प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को नोटिस पेश नहीं किये। साथ ही माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान की निगरानी/टी.ए./1171/2022/जयपुर उनवानी जगदीश बनाम सहायक कलेक्टर में माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि उभयपक्ष को विधिवत् रूप से सुनकर प्रार्थना पत्र गणावगुण के आधार पर निस्तारित किया जावे।</p> <p>परंतु प्रार्थी ने आज दिनांक तक अप्रार्थीगण की तलवी पेश नहीं की। पूर्व में आदेश दिनांक 11.07.2022 को थी 09R5 के तहत कार्यवाही हेतु लिखा गया था। परंतु प्रार्थी न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर 09R5 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक कलेक्टर आमेर मु० जयपुर</p>